

20.03.2020

## न्यायालय समाहर्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-28/2020

राज्य

बनाम

1. विपुल कुमार अग्रवाल, पिता गोविन्द राम अग्रवाल, सा०-गुलाबबाग, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया। (जप्त मोटर साईकिल सं०-BR39P-5833 के निबंधित स्वामी)
2. अनिल कुमार यादव, पिता हरिचंद्र यादव, सा०-बरसौनी, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया। (जप्त मोटर साईकिल सं०-BR39P-5833 के क्रेता।)

### आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद डगरूआ थाना कांड सं०-182/2019 दिनांक 26.09.19 के आलोक में प्रारम्भ की गई है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 4921/हि०शा० दिनांक 24.12.19 द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन की जाँच दिनांक 26.09.19 को डगरूआ थाना अन्तर्गत ग्राम बुआरी के पास की गई। जांच के क्रम में जप्त वाहन से रॉयल स्टेग व्हिस्की का 14 बोतल (प्रति बोतल 750मि०ली०) विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी सं०-01 के द्वारा दिनांक 28.01.20 को कारणपृच्छा समर्पित कर अवगत कराया गया कि उक्त वाहन जप्त होने के पूर्व विपक्षी सं०-02 के पास बेच दिया गया है। तत्पश्चात् ज्ञापांक 715/विधि दिनांक 12.02.20 के द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु विपक्षी सं०-02 को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके आलोक में विपक्षी द्वारा स्वयं दिनांक 03.03.20 को उपस्थिति दी गई, परन्तु न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा गया। दिनांक 13.03.20 की सुनवाई में भी विपक्षी सं०-02 अनुपस्थित थे जिन्हें अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया, परन्तु आज की सुनवाई में भी उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन से रॉयल स्टेग व्हिस्की का 14 बोतल (प्रति बोतल 750मि०ली०) विदेशी शराब जप्त किया गया है जो जप्ती सूची में दर्ज है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी सं०-02 के द्वारा न्यायालय में उपस्थिति आवेदन देने के पश्चात् अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिससे प्रतीत होता है कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले



पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।” स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 “विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।” ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त मोटर साईकिल सं0-BR39P-5833 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलिय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,  
पूर्णिया।

समाहर्ता,  
पूर्णिया।